Government of Andhra Pradesh in case they are interested in adopting the software packages used in Andhra Pradesh.

Fifth Central Pay Commission's recommendations for Medical and Travel facilities for Pensioners

1036. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of recommendations made by Fifth Central Pay Commission for the Pensioners' medical and travel facilities which have been accepted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): The Fifth Pay Commission's recommendation that pensioners residing in an area not covered by Central Government Health Scheme should be given a fixed amount of medical allowances @ Rs. 100/- per month for meeting the expenditure on day to day medical expenses that do not require hospitalisation has been accepted.

The issue of extension of CS(MA) Rules, 1944 to the Central Government Pensioners residing in the areas not covered by the Central Government Health Scheme is being examined by the Government.

In so far as extension of travel concession to pensioners is concerned, it may be stated that the Fifth Central Pay Commission in para 140.27 of its Report have rejected the demands for extending travel concessions to pensioners.

दक्षिणी दिल्ली की सरकारी कॉलोनियों की रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव

1037. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित सरकारी कॉलोनियों में कार्यरत कतिपय रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव इस वर्ष नहीं हुए हैं तथा पूर्व एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा सरकार को गलत सूचना दी गई है कि वे पुनः चुन लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त एसोसिएशनों द्वारा पूर्व में एकत्रित किए गए धन आदि का ब्यौरा भी नहीं भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) विभिन्न रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के पदाधिकारियों का चुनाव, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, संबंधित एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन का चुनाव न कराए जाने के संबंध में एक शिकायत मिली है जबकि पदाधिकारियों ने दावा किया है कि 1997-99 के ब्लाक वर्ष के चुनाव करवाए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण लेखों के ब्यौरे (इसमें एसोसिएशन के सदस्यों से अंशदान इत्यादि के तौर पर इकट्ठे किए गए फण्ड भी शामिल है) भेजे जाते हैं जिन्हें पूर्व वर्ष के लेखों के जांच के पश्चात् ही मंजूरी दी जाती है। चालू वर्ष के लिए सहायता-अनुदान राशि जारी किए जाने के एसोसिएशनों के प्रस्ताव अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, किसी एसोसिएशन/सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

Drawal of Pension by State Government Employees

1038. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the retired employees of State Governments of West Bengal, Orissa etc. are required to draw their pensions from Nationalised Banks/ Treasuries within the respective states;